



कर्नाटक मंदिर कर संशोधन वधियक

प्रलिस के लयि:

[राज्यपाल](#), [अनुच्छेद 25](#), [अनुच्छेद 26](#)

मेन्स के लयि:

मंदिर प्रशासन, सरकारी नीतयिँ एवं हस्तकषेप, पारदर्शता एवं जवाबदेही

[सरोत: इंडयिन ऐक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

कर्नाटक हद्वि धार्मकि संस्थान और धर्मारथ बंदोबस्ती (संशोधन) वधियक, 2024, राज्य वधियनसभा एवं उसके बाद राज्य वधियनपरषिद द्वारा पारति कयिा गया था, अब इसे मंजूरी के लयि [राज्यपाल](#) के पास भेजा जाएगा ।

- वर्ष 1997 के वधियक का उद्देश्य कर्नाटक हद्वि धार्मकि संस्थान और धर्मारथ बंदोबस्ती अधनियम (KHRI & CE), 1997 में कई प्रावधानों में संशोधन करना था ।

वधियक की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- कराधान प्रणाली में परविरतन:**
 - इस वधियक का उद्देश्य हद्वि मंदिरों के कराधान में परविरतन करना था ।
 - इसमें मंदिरों से होने वाली 1 करोड़ रुपए से अधिक की सकल वार्षकि आय का 10% भाग मंदिर के रख-रखाव के लयि एक सामान्य प्रस्ताव पारति कयिा है ।
 - पूर्व में 10 लाख रुपए वार्षकि से अधिक आय वाले मंदिरों के लयि आवंटन शुद्ध आय का 10% था ।
 - शुद्ध आय की गणना मंदिर पर हुएव्यय का हिसाब-कतिाब करने के बाद उसके लाभ के आधार पर की जाती है, जबकि सकल आय का तात्पर्य मंदिर द्वारा अर्जति कुल धनराशि से है ।
 - वधियक में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच की आय वाले मंदिरों की आय का 5% आवंटति करने का भी सुझाव दयिा गया है ।
 - इन परविरतनों से 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले 87 मंदिरों एवं 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले 311 मंदिरों से अतरकि्त 60 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे ।
- सामान्य नधि का उपयोग:**
 - सामान्य नधि का उपयोग धार्मकि अधयन के साथ प्रचार-प्रसार, मंदिरों के रख-रखाव एवं अन्य धर्मारथ कार्यों के लयि कयिा जा सकता है ।
 - वर्ष 1997 के अधनियम में संशोधन करके, वर्ष 2011 में सामान्य नधि बनाई गई थी ।
- प्रबंधन समति की संरचना:**
 - वधियक में मंदिरों और धार्मकि संस्थानों की "प्रबंधन समति" में वशि्वकरमा हद्वि मंदिर वास्तुकला एवं मूरतकिला में एक कुशल सदस्य को जोड़ने का सुझाव दयिा गया है ।
 - मंदिरों एवं अन्य धार्मकि संस्थानों को KHRI&CE 1997 अधनियम की धारा 25 के तहत एक "प्रबंधन समति" स्थापति करने की आवश्यकता होती है, जसिमें नौ व्यक्त शामिल होते हैं, जसिमें एक पुजारी, दो महिलाएँ, संस्थान के कषेत् का एक नविसी और साथ ही कम-से-कम एक अनुसूचति जाति अथवा अनुसूचति जनजाति एक सदस्य शामिल होता है ।
- राज्य धार्मकि परषिद:**
 - वधियक द्वारा राज्य धार्मकि परषिद को समति अध्यकषों की नयुक्ति करने के साथ धार्मकि वविादों, मंदिर की स्थति एवं टरस्टी नयुक्तयिों को संभालने का अधिकार दयिा । इसके अतरकि्त, इसमें वार्षकि 25 लाख रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों के लयि बुनयिादी ढाँचा परयोजनाओं की नगरिनी के लयि ज़िला एवं राज्य समतियिों के नरिमाण को अनविर्य कयिा गया ।

वधियक के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- वधियक को भेदभाव के आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यह केवल हद्वि मंदिरों पर लागू होता है, अन्य धार्मिक संस्थानों पर नहीं।
 - इस वधियक की **संवधान के अनुच्छेद 14** के तहत भी जाँच की जा सकती है जो **वधियक के समक्ष समता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी** देता है तथा राज्य की मनमाना एवं अनुचित कार्रवाई पर रोक लगाता है।
- आलोचकों ने तर्क दिया कि इस प्रकार का हस्तक्षेप **अनुच्छेद 25** के तहत प्रदत्त सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
 - अनुच्छेद 25** में उल्लिखित है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान हक होगा।
 - अनुच्छेद 25(2) (a) राज्य को** किसी भी धार्मिक आचरण से संबंध कसि आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य लौकिक क्रियाकलाप का वनियमन अथवा **प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।**
- इसके अतिरिक्त **अनुच्छेद 26** के तहत गारंटीकृत अधिकारों के संभावित उल्लंघन के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की गईं।
 - अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने **धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने** और धार्मिक तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये **संस्थान स्थापित करने की स्वायत्तता** प्रदान करता है।
- यह संभावना है कि इस वधियक के माध्यम से सरकार द्वारा नयिकृत किये गए राज्य धार्मिक परिषद द्वारामंदिर के धन और परसिंपत्तियों के संबंध में **भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन** को बढ़ावा मलिया।
- वधियक के अनुसार यह वधियक सरकारी अतिक्रमण और मंदिरों का वित्तीय शोषण दर्शाता है।

अन्य राज्यों में मंदिर राजस्व प्रबंधन:

- तेलंगाना की व्यवस्था:**
 - तेलंगाना मंदिर राजस्व के संबंध में कर्नाटक की ही भाँति एक प्रणाली का अनुपालन करता है जहाँ **तेलंगाना धर्मार्थ और हद्वि धार्मिक संस्था तथा वनियास अधिनियम, 1987** की धारा 70 के तहत एक **"कॉमन गुड फंड"** तैयार किया जाता है।
 - वार्षिक रूप से **50,000 रुपए से अधिक** आय वाले मंदिरों को अपनी **कुल आय का 1.5%** राज्य सरकार को प्रदान करना अनविरय है।
 - इन नधियों का उपयोग मंदिर के रखरखाव, जीर्णोद्धार, वेद-पाठशालाओं (धार्मिक वदियालयों) और नए मंदिरों की स्थापना के लिये किया जाता है।
- केरल की व्यवस्था:**
 - केरल संबद्ध वषिय हेतु एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है जहाँ मंदिरों का प्रबंधन मुख्य रूप से **राज्य द्वारा संचालित देवस्वओम (मंदिर) बोर्डों** द्वारा किया जाता है।
 - केरल में **पाँच स्वायत्त देवस्वओम बोर्ड** मौजूद हैं जो 3,000 से अधिक मंदिरों की देख-रेख करते हैं। बोर्ड के सदस्यों को सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नयिकृत किया जाता है, जो अमूमन राजनेता होते हैं।
 - प्रत्येक देवस्वओम बोर्ड राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट के साथ कार्य करता है और **राजस्व आँकड़ों का खुलासा** करने के लिये बाध्य नहीं है। **त्रावणकोर और कोचीन के अतिरिक्त** प्रत्येक देवस्वओम बोर्ड के तहत मंदिरों का प्रशासन तथा प्रबंधन अलग-अलग कानून द्वारा नयित्तिरति किया जाता है जो एक **साझा अधिनियम (त्रावणकोर-कोचीन हद्वि धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950)** द्वारा शासित होते हैं।

राज्य द्वारा मंदिरों के वनियमन की ऐतहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

- ब्रिटिश सरकार के पूरत वनियास अधिनियम, 1863** का उद्देश्य स्थानीय समतियों को मंदिर के नयित्रण के संबंध में अधिकार प्रदान कर मंदिर के प्रबंधन को पंथनरिपेक्ष बनाना था।
- वर्ष 1927** में **जस्टिस पार्टी** ने मद्रास हद्वि धार्मिक वनियास अधिनियम कार्यान्वित किया जो मंदिरों को वनियमित करने के लिये एक नरिवाचति सरकार द्वारा किये गए शुरुआती प्रयासों में से एक था।
- वर्ष 1950** में **भारत के वधि आयोग** ने मंदिर के राजस्व के दुरुपयोग की रोकथाम करने के लिये कानून की अनुशंसा की जिसके परिणामस्वरूप **तमलिनाडु हद्वि धार्मिक और पूरत वनियास (TN HR&CEई) अधिनियम, 1951** कार्यान्वित किया गया।
 - यह मंदिरों और उनकी परसिंपत्तियों के प्रशासन, सुरक्षा और संरक्षण के लिये हद्वि धार्मिक और पूरत वनियास वधिाग के गठन का प्रावधान करता है।
- TN HR&CE अधिनियम अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता को **सर्वोच्च न्यायालय** के समक्ष चुनौती दी गई थी। ऐतहासिक **शरि मठ मामले (1954)** में, न्यायालय ने समग्र कानून को बरकरार रखा, हालाँकि इसने कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। **वर्ष 1959** में एक संशोधित **TN HR&CE अधिनियम** बनाया गया था।

भारत में अन्य धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है?

- उपासना स्थल अधिनियम, 1991:**
 - यह किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करने और उसकी स्थिति को स्थिर करने अर्थात् धार्मिक स्वरूप के रखरखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिये एक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया है जैसा कि यह 15 अगस्त,

1947 के दौरान असतत्व में था।

- अधिनियम में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों को शामिल नहीं किया गया है, जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा शासित होते हैं।
- इसके कार्यान्वयन से पूर्व नष्ट हुए मामले, सुलझाए गए विवाद या रूपांतरण भी इसमें शामिल नहीं हैं। विशेष रूप से, यह अधिनियम संबंधित कानूनी कार्यवाही सहित, अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में ज्ञात उपासना स्थल पर लागू नहीं होता है।

■ भारत का संविधान:

- अनुच्छेद 26 के तहत संविधान में कहा गया है कि धार्मिक समूहों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन करने, धार्मिक मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने तथा संपत्तिका स्वामित्व, अधिग्रहण व प्रशासन करने का अधिकार है।

- मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य धार्मिक संप्रदाय इन संवैधानिक आश्वस्तियों का भरपूर उपयोग कर अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करते हैं।

■ शरिमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC):

- SGPC सिख नेतृत्व वाली एक समिति है जो भारत और विदेशों में सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है।

- SGPC का चुनाव प्रत्येक रूप से सिख संगत द्वारा किया जाता है अर्थात् 18 वर्ष से अधिक उम्र के सिख पुरुष एवं महिला मतदाता जो सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के तहत मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

■ वक्फ अधिनियम 1954:

- के वक्फ अधिनियम, 1954 ने केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की, जो औकाफ (दान की गई संपत्ति) के प्रशासन और राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज पर केंद्र सरकार को सलाह देती है।

- राज्य वक्फ बोर्ड अपने राज्य में मस्जिदों, कबरस्तानों और धार्मिक वक्फों पर नियंत्रण रखते हैं। वक्फ बोर्ड का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उसकी संपत्तियों और संप्राप्तिका उचित प्रबंधन तथा उपयोग किया जाए।

- वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल या अचल संपत्तियों का एक स्थायी समर्पण गठन है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

Q. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? विवेचना कीजिये। (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/karnataka-s-temple-tax-amendment-bill>